मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा ९ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराध.

"९. धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन, प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने से और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से या कारावास से, जो दो वर्ष तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

"ईज ऑफ डुइंग बिजनेस" एक महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र तथा राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) की धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंधों के उल्लंघन के अपराध की गंभीरता के साथ दण्ड की मात्रा को उसके अनुरूप करने हेतु, अधिनियम की धारा ९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १८ दिसम्बर, २०२२.

बृजेन्द्र सिंह यादव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) से उद्धरण

धारा ९. धारा ३ या धारा ४ के उपबंधों का उल्लंघन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.